आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-95/2021 – 1912

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ।

पटना, दिनांक – 27.03.2021

विषय : त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन,2021 – पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण स्थिति को 'डिजीटाइज' कराने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1058 दिनांक 26.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से निर्वाचन संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। पत्र के कंडिका 8(3)(घ)(i) के अनुसार विगत पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में पंचायत के विभिन्न पदों, यथा – ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य के जो पद आरक्षित किये गये थे, पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में भी उन पदों का आरक्षण स्थिति यथावत रहेगा। आयोग द्वारा अनुमोदित सूची जिला कार्यालय में तथा आयोग कार्यालय में संरक्षित है। आयोग के वेवसाईट पर भी पंचायत के विभिन्न पदों की आरक्षण स्थिति संधारित है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।

पंचायत के पदों के आरक्षण की स्थिति को 'डिजीटाइज' कराया जाना है, जिसकी आवश्यकता नाम निर्देशन, संवीक्षा, मतगणना, निर्वाचन प्रमाण-पत्र तथा प्रप्रत्र-23 तैयार करने में होगी। पंचायत के पदों के आरक्षण स्थिति को प्रविष्ट कर 'डिजिटाईज' कराये जाने हेतु आयोग के वेवसाईट के Login में संबंधित 'सॉफ्टवेयर' की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित 'मैन्यूअल' सुविधा हेतु संलग्न किये गये हैं। आरक्षण की स्थिति के साथ जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायत, पंचायत समिति क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले पंचायत के प्रा.नि.क्षे. (वार्ड) संख्या तथा ग्राम पंचायत प्रा.नि.क्षे. में मतदान केन्द्र को भी अंकित किया जाना है। प्रखंड स्तर पर आरक्षण स्थिति की प्रविष्टि कराकर संबंधित जिला पंचायत पदाधिकारी से Verify कराकर आपके स्तर पर Accept किया जाना है, जिससे गलती होने की कोई गुंजाईश न रहे।

अनुरोध है कि पंचायत के पदों के आरक्षण स्थिति को प्रविष्ट कर 'डिजिटाईज' कराये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

27/03/2021
सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmail.com
D:\pm5\P_E_Sanchalan_21/52

ज्ञापांक - पं0नि0 30-95/2021 – 1912 पटना, दिनांक – 27.03.2021

प्रतिलिपि मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव। 27/03/2021

ज्ञापांक - पं0नि0 30-95/2021 – 1912 पटना, दिनांक – 27.03.2021

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव। 27/03/2021

ज्ञापांक - पं0नि0 30-95/2021 – 1912 पटना, दिनांक – 27.03.2021

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव। 27/03/2021

27.3.21

आरक्षण प्रविष्टि (यूजर मैनुअल)

Step 1: http:// sec.bihar.gov.in वेबसाइट Open करें।

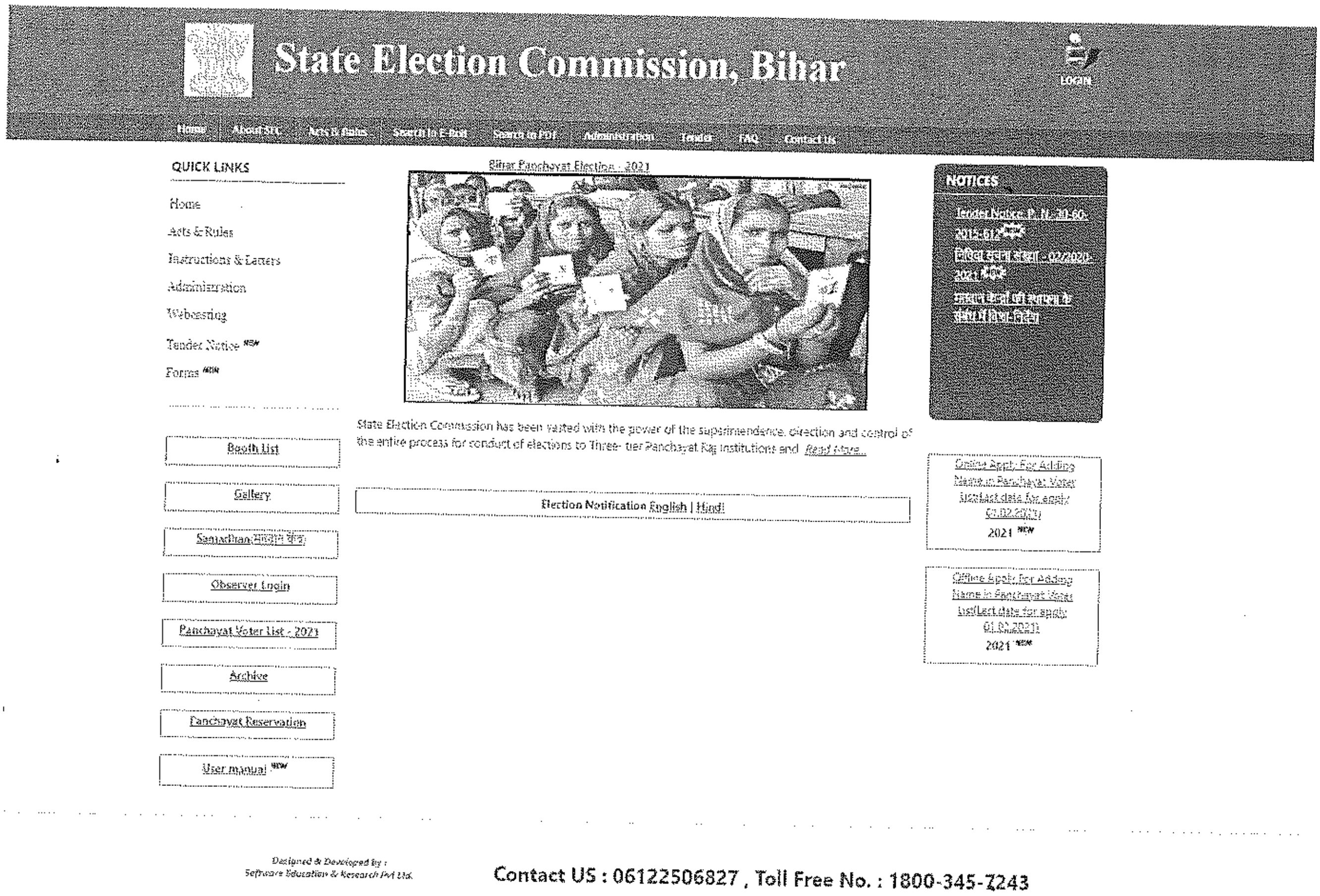

Step 2: Login पर क्लिक करें, उसके बाद Admin Panel आएगा, जिसमे **प्रखण्ड** स्तर का यूजर नाम और पासवर्ड डाल कर Login करें।

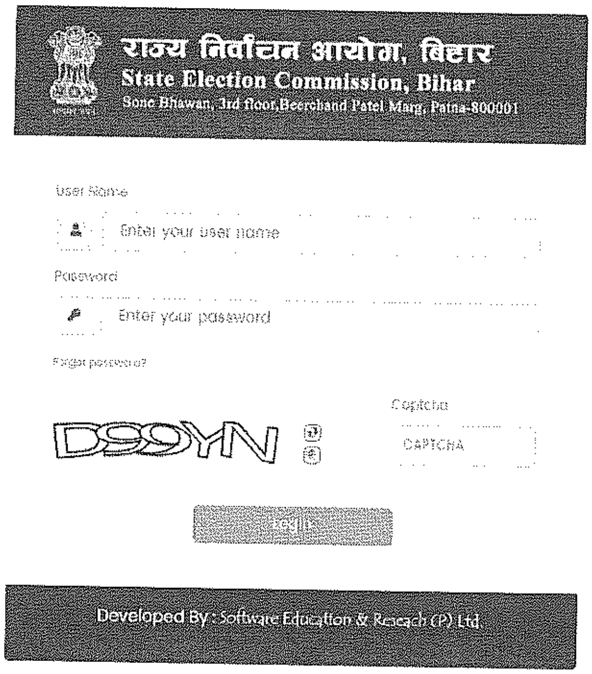

Step 3: Login के बाद Dashboard खुलेगा, जिसके बायीं तरफ "**Booth**" मेनू पर क्लिक करना है। उसके बाद "**Entry**" Sub Menu पर क्लिक करें तथा "**Reservation Entry**" Sub Menu पर क्लिक करें, जिससे आरक्षण प्रविष्टि करने वाला पेज खुलेगा।

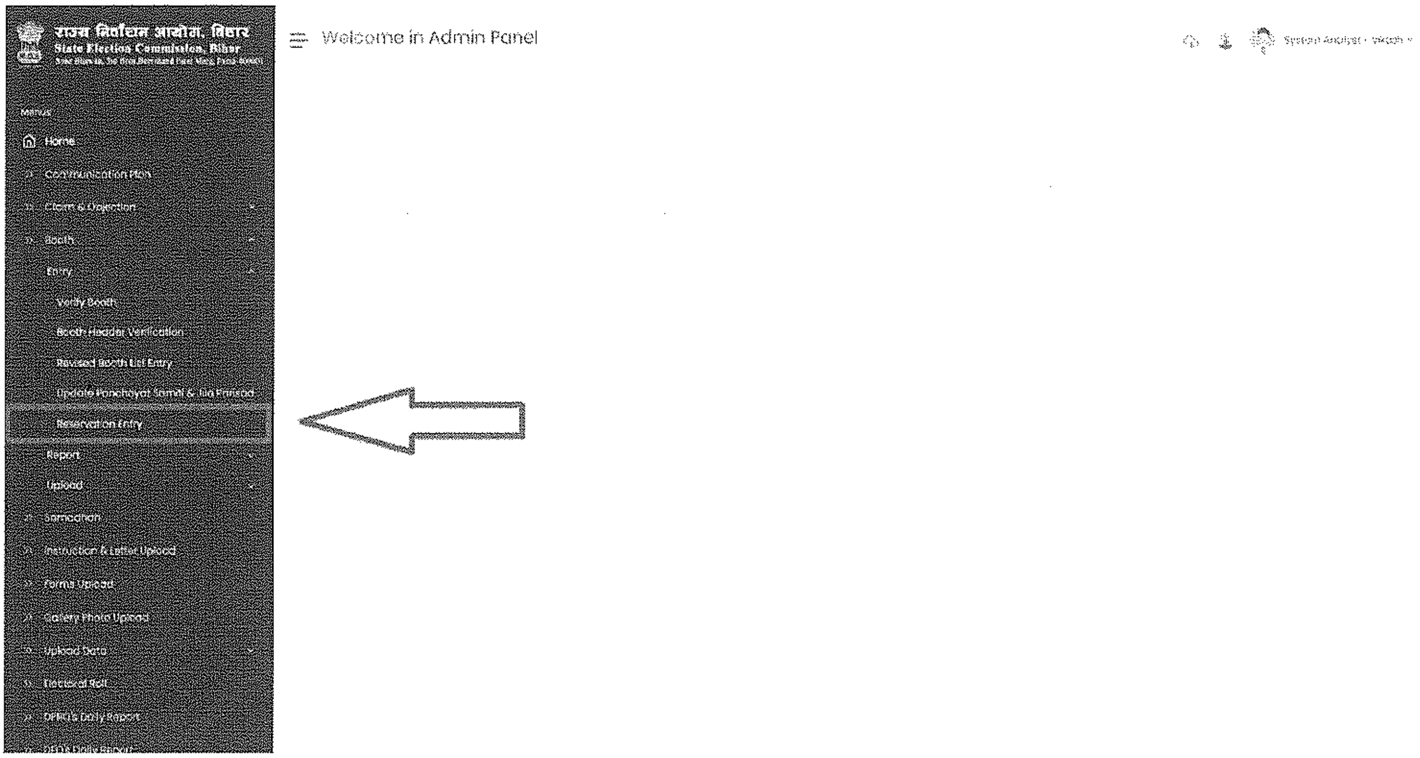

Step 4: पदवारआरक्षण प्रविष्टि पेज को भरना है, यदि कोई सहायक मतदान केंद्र बना हो तब Checkbox पर Tick कर "**Save**" बटन पर क्लिक करना है।

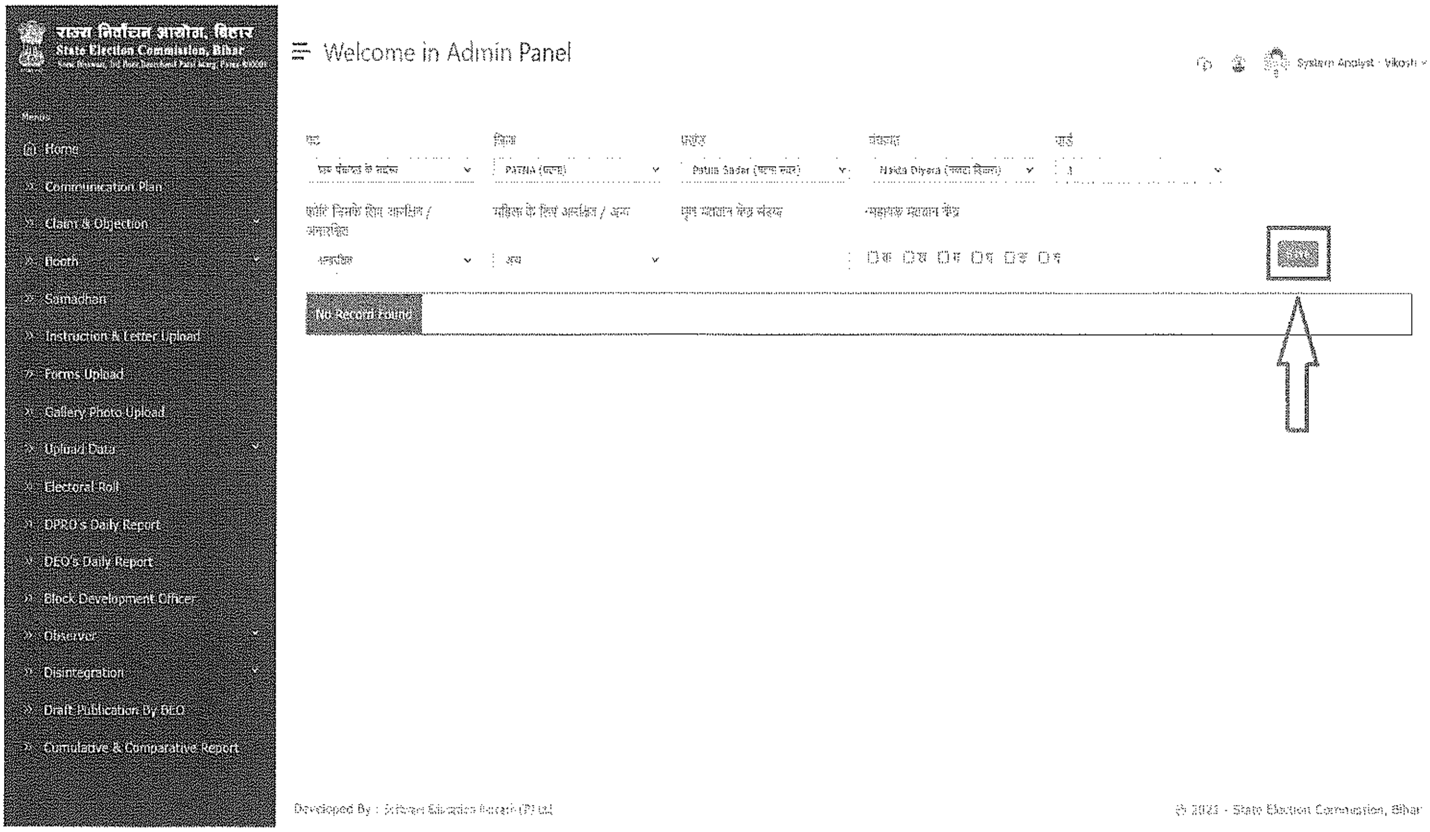

Step 5: आरक्षण प्रविष्टि पेज को भरने के बाद आपके द्वारा प्रविष्ट किया हुआ डाटा नीचे दिखेगा, यदि आपके द्वारा गलत प्रविष्टि हो गयी है तब "**Delete Record**" बटन पर क्लिक कर आपके द्वारा प्रविष्ट किया हुआ डाटा को डिलीट किया जा सकता है। किंतु ध्यान रहे **जिस वार्ड** का डाटा **डिलीट** करना है वह वार्ड ही "**Drop Down**" में चुना गया हो।

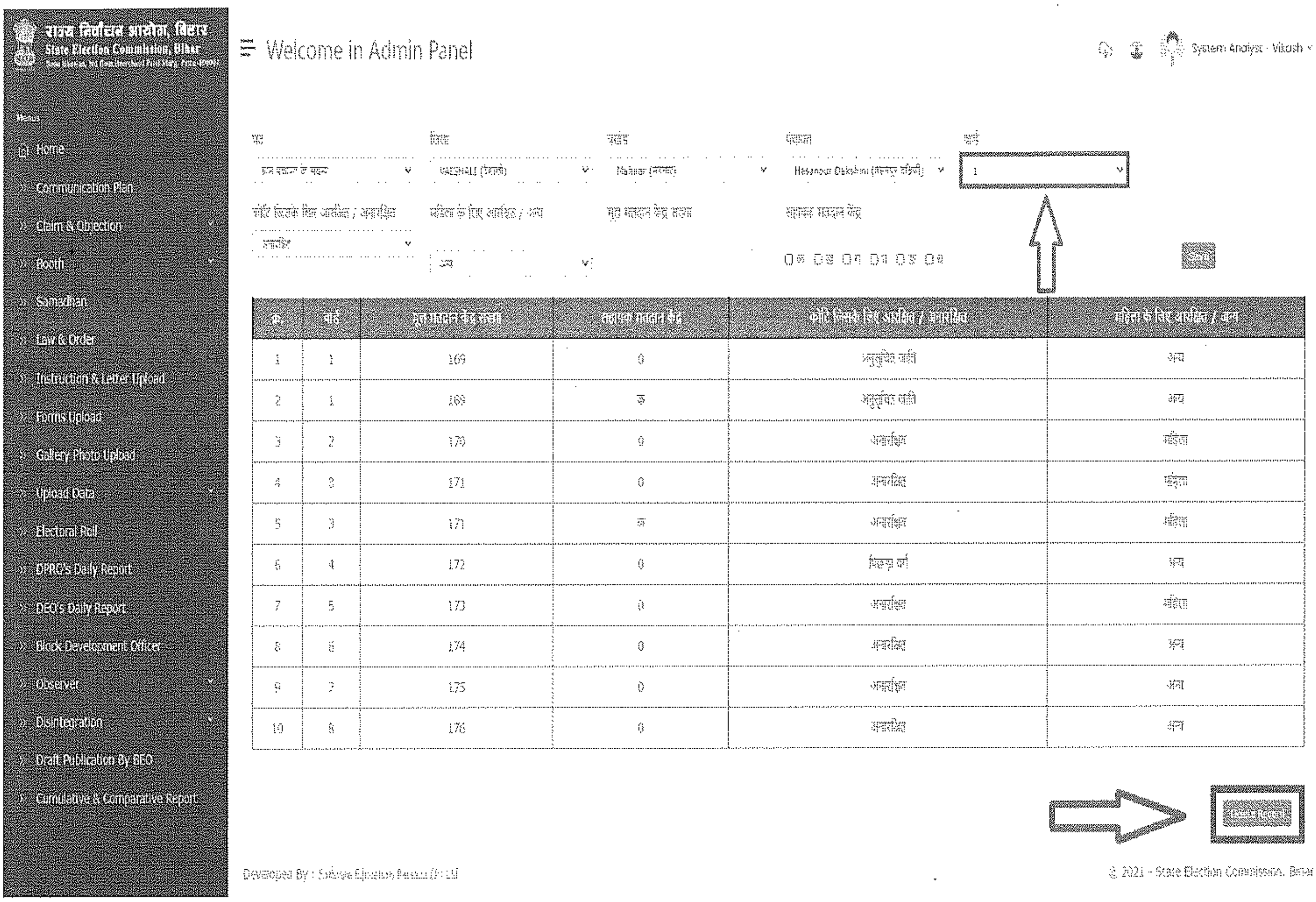

नोट : आरक्षण प्रविष्टि की प्रक्रिया सभी पदों के लिए करना अनिवार्य है।

जिला द्वारा किए जाने वाले कार्य :

Step 1: http:// sec.bihar.gov.in वेबसाइट Open करें।

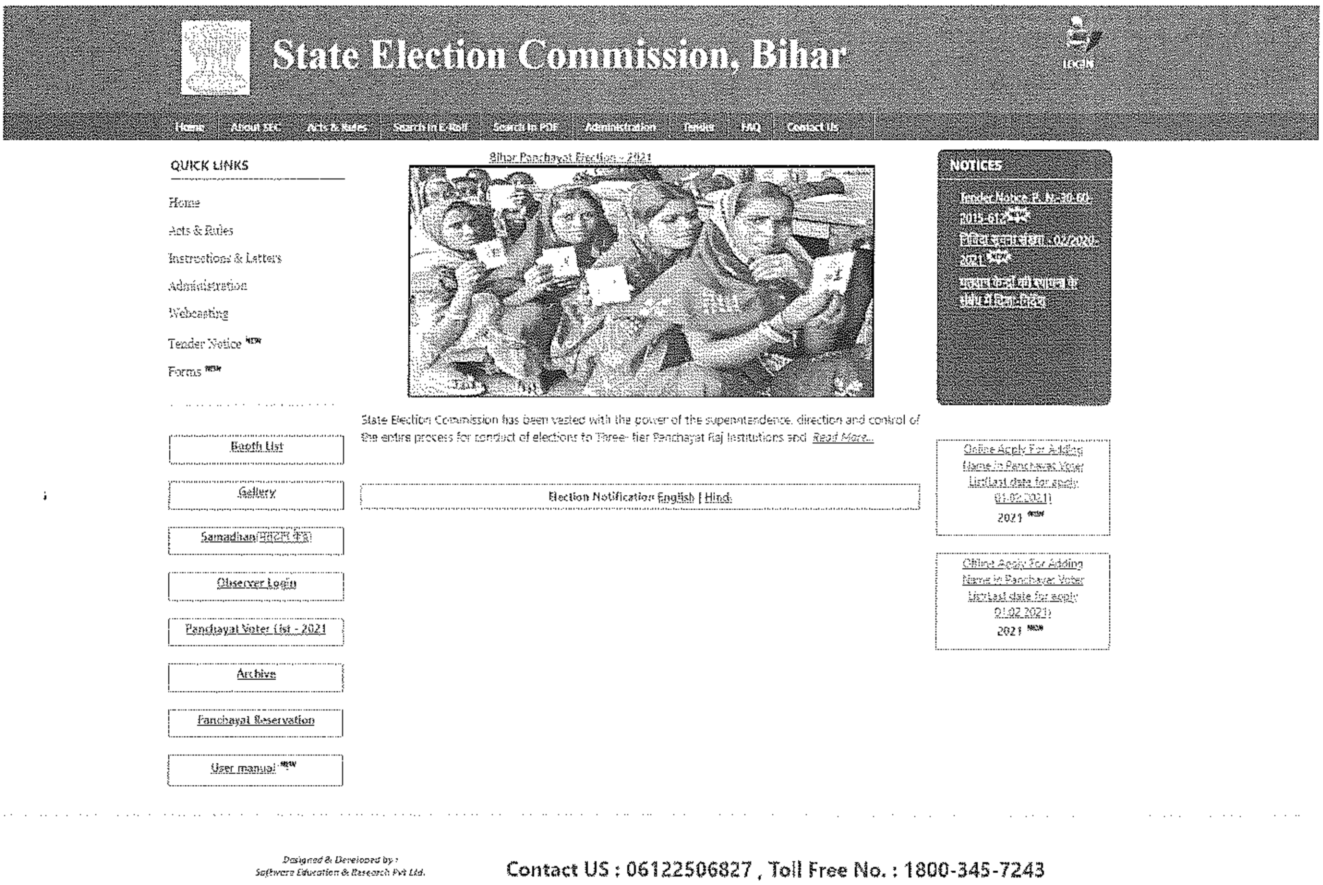

Step 2: Login पर क्लिक करें, उसके बाद Admin Panel आएगा, जिसमे **जिला** स्तर का यूजर नाम और पासवर्ड डाल कर Login करें।

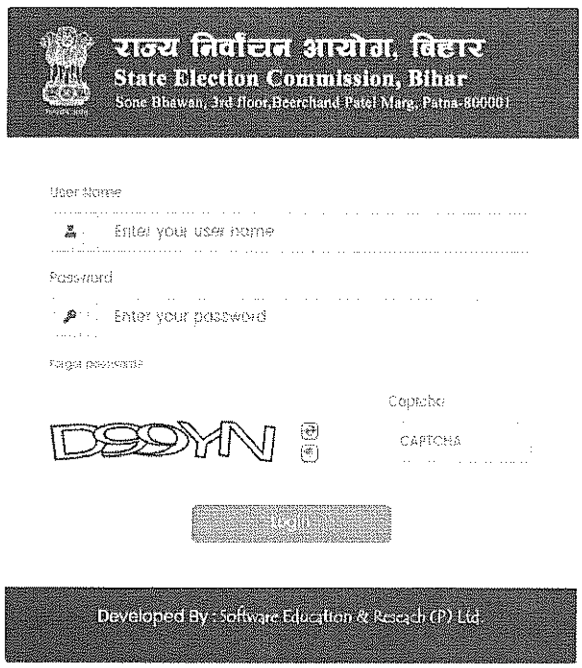

Step 3: Login के बाद Dashboard खुलेगा, जिसके बायीं तरफ "**Booth**" मेनू पर क्लिक करना है। उसके बाद "**Entry**" Sub Menu पर क्लिक करें तथा "**Reservation Verification**" Sub Menu पर क्लिक करें, जिससे Reservation Verify करने वाला पेज खुलेगा।

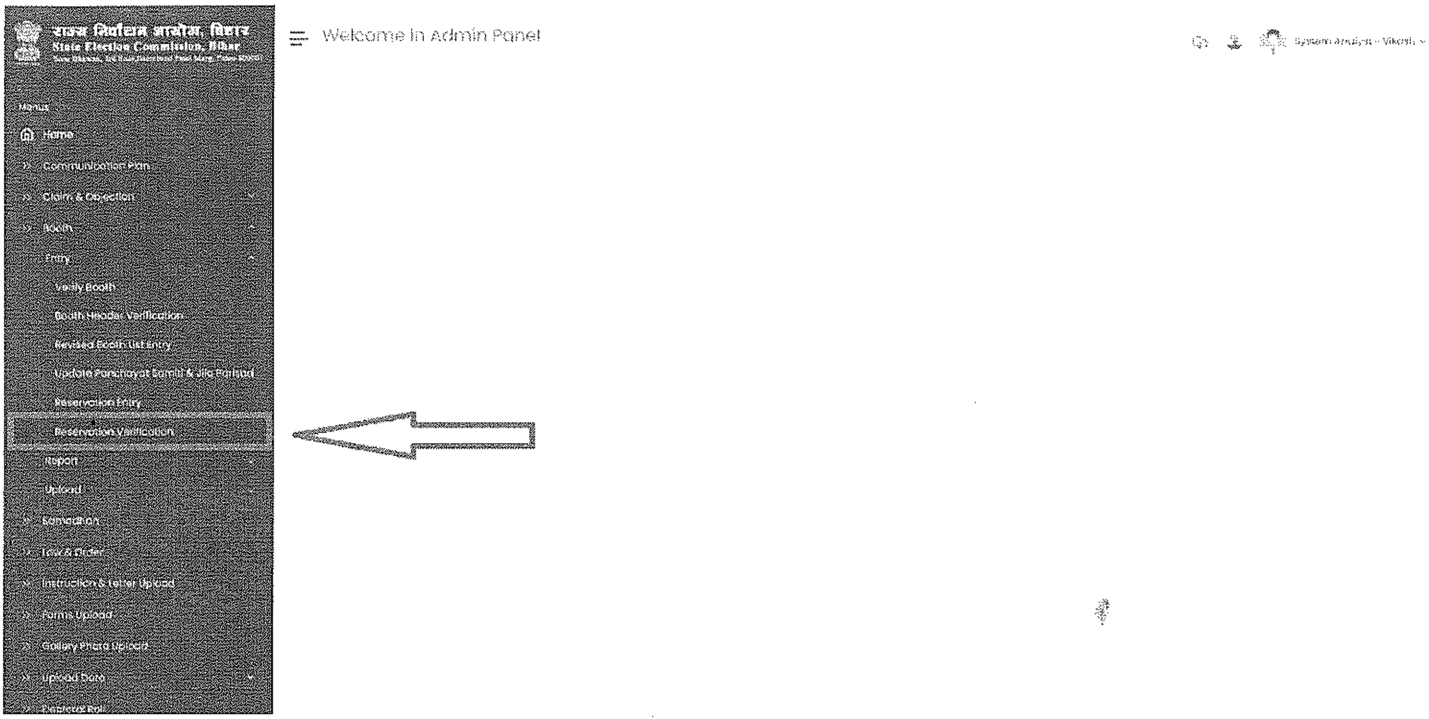

Step 4: Reservation Verify पेज में प्रखण्ड द्वारा प्रविष्ट डाटा दिखेगा, यदि प्रखण्ड द्वारा प्रविष्ट किया हुआ डाटा सही हो तब **"Verify"** बटन पर क्लिक करना है। जिससे प्रखण्ड द्वारा प्रविष्ट किया हुआ डाटा Verify हो जाएगा।

रिपोर्ट देखने के लिए :

Step 1: http:// sec.bihar.gov.in वेबसाइट Open करें।

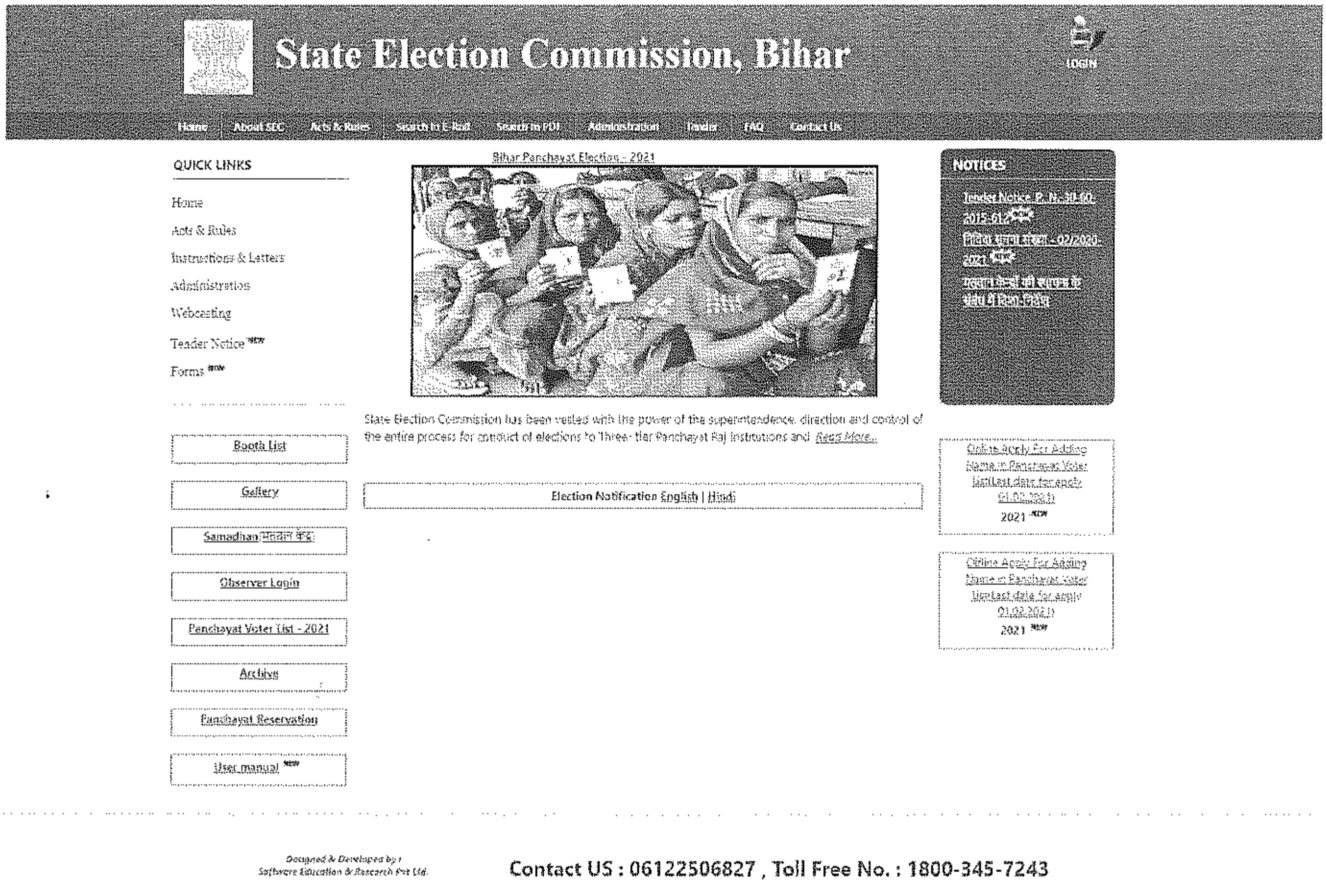

Step 2: Login पर क्लिक करें, उसके बाद Admin Panel आएगा, जिसमे **आयोग, जिला या प्रखण्ड** स्तर का यूजर नाम और पासवर्ड डाल कर Login करें।

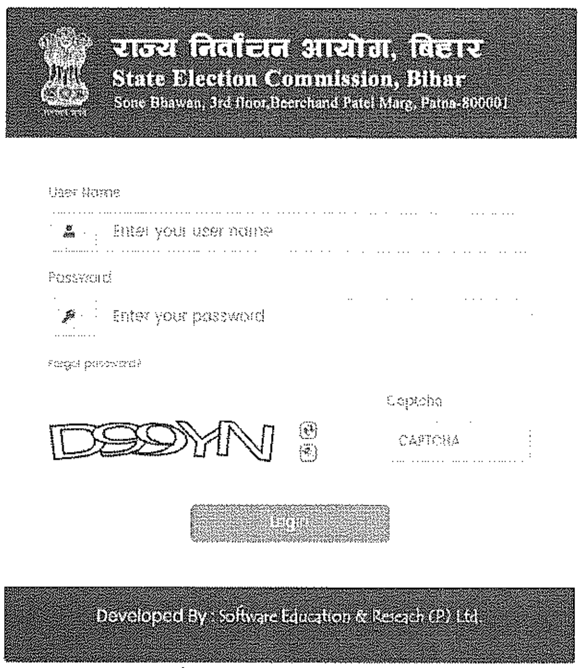

Step 3: Login के बाद Dashboard खुलेगा, जिसके बायीं तरफ "**Booth**" मेनू पर क्लिक करना है। उसके बाद "**Report**" Sub Menu पर क्लिक करना है, उसके बाद "**Reservation Report**" और "**Reservation Summary Report**" Sub Menu पर क्लिक करें, जिससे रिपोर्ट देखा जा सकता है।

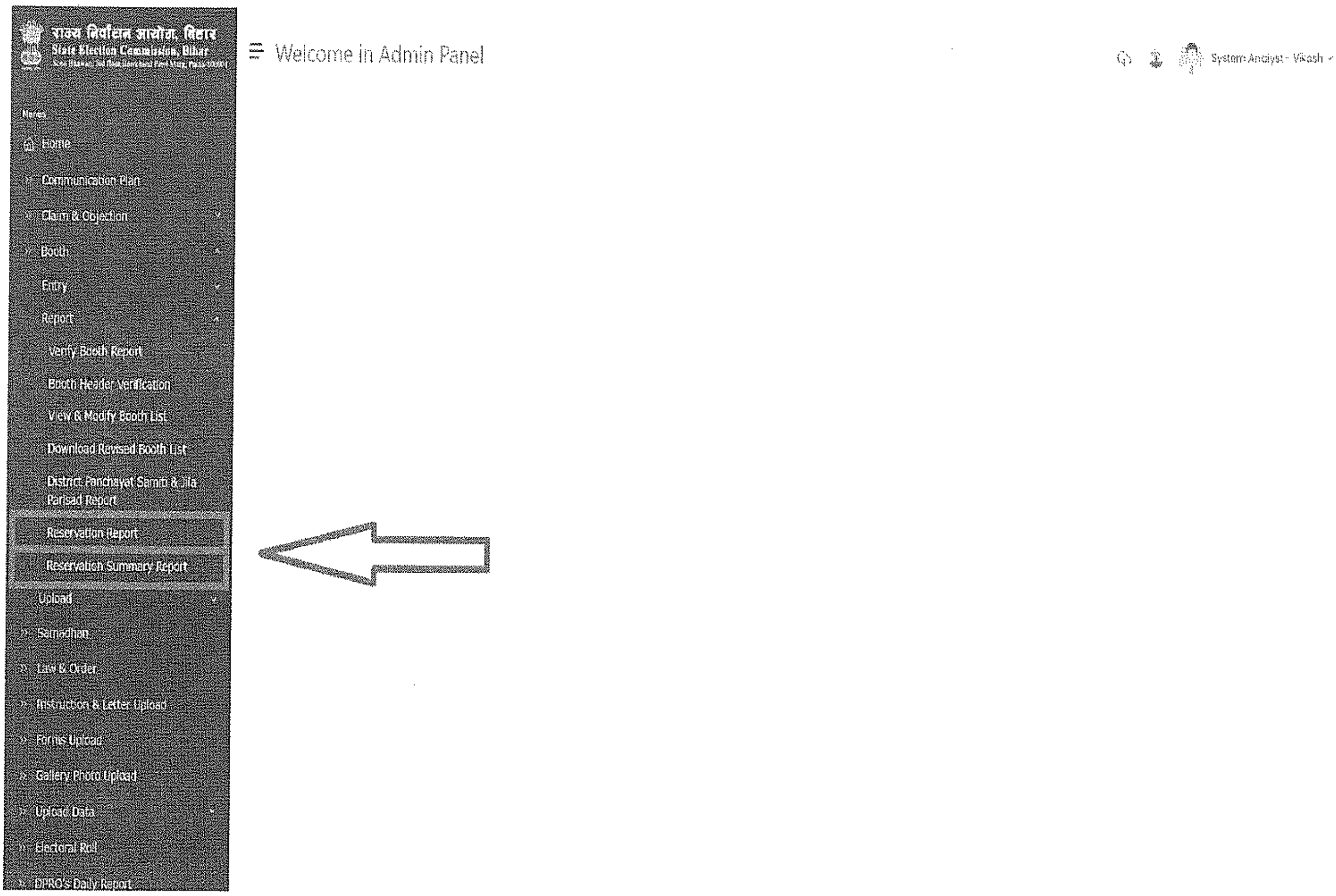

नोट : आरक्षण प्रविष्टि की प्रक्रिया सभी पदों के लिए करना अनिवार्य है।